

By speed post



सरकार

Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

फाइल क्रमांक आरएस/4/2017/एसटीजीयूपी/एटीओटीएच/आरयू-1

दिनांक 11/01/2018

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश सरकार,
1-तिलक मार्ग,
लखनऊ - 226001.
उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश पुलिस,
मेरठ क्षेत्र,
मेरठ - 250001.
उत्तर प्रदेश।

विषय: जातिगत आधार पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति एवं उसके परिवार को प्रताड़ित करते हुए झुठे केस में फंसाने के संबंध में श्री राजेन्द्र साह पुत्र श्री भोला साह निवासी 25/28 आर. के. पुरम, दिल्ली रोड़, ब्रह्मपुरी जनपद मेरठ, उत्तर प्रदेश के परिवाद दिनांक 07.12.2017 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर दिनांक 08/01/2018 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री नन्द कुमार साय के समक्ष हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्यवाई हेतु आपको भेजी जा रही हैं। अनुरोध है कि कार्यवृत्त पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को अविलम्ब भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि कार्यवृत्त की प्रति सहित:

- 1 श्री राजेन्द्र साह,
पुत्र श्री भोला साह,
निवासी 25/28 आर. के. पुरम,
दिल्ली रोड़, ब्रह्मपुरी
जनपद मेरठ,
उत्तर प्रदेश।

2

एस ए एस, एनसीएसटी को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग


केस संख्या आरएस/4/2017/एसटीजीयूपी/एटीओटीएच/आरयू-1

विषय – जातिगत आधार पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति एवं उसके परिवार को प्रताड़ित करते हुए झुठे केस में फंसाने के संबंध में श्री राजेन्द्र साह पुत्र श्री भोला साह निवासी 25/28 आर. के. पुरम दिल्ली रोड़, ब्रह्मपुरी जनपद मेरठ, उत्तर प्रदेश के परिवाद दिनांक 07.12.2017 संबंधी प्रकरण पर दिनांक 08.01.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री नंदकुमार साय के समक्ष हुई सीटिंग का कार्यवृत्त।

सीटिंग में भाग लेने वालों की सूची- परिशिष्ट-क

श्री राजेन्द्र साह निवासी 25/28 आर.के.पुरम दिल्ली रोड़, ब्रह्मपुरी जनपद मेरठ, उत्तर प्रदेश ने परिवाद दिनांक 07.12.2017 आयोग को भेजा है जिसमें बताया है कि वह बिहार का निवासी है तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है वर्तमान में वह आर.के.पुरम, दिल्ली रोड़, मेरठ में श्री हरिओम जोशी के मकान में किराए पर रहता है तथा ठेलारेडी चलाकर, गर्मी व सर्दी में छोटा-मोटा सामान बेचकर बच्चों का पालन-पोषण करता है उनके बगल में रहने वाले भूपेन्द्र आनन्द एवं उसकी पत्नी नीना आनन्द तथा खूशबु अग्रवाल पति विपुल अग्रवाल, लक्ष्मी अग्रवाल पति विनय अग्रवाल उनके साथ जातिगत शब्द बोलकर अपमानित करते हैं तथा मौहल्ले से निकलवाने की धमकी देते हैं। दिनांक 10.11.2017 को उक्त लोगों ने उनके परिवार के साथ जातिगत गाली-गलौच करते हुए अपमानित किया जिस पर उसने पुलिस में 100 नंबर पर सूचना दी उसके पश्चात उसने उक्त घटना की सूचना पुलिस थाना-ब्रह्मपुरी में दी जिस पर दिनांक 20.11.2017 को मुकदमा संख्या 702/2017 धारा 147,504, 3(1) (द) एस सी/एस टी एक्ट के तहत उक्त लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। प्रार्थी पर दबाव बनाने के लिए प्रतिवादीगण ने प्रार्थी के खिलाफ महिला छेड़छाड़ का फर्जी मुकदमा दिनांक 30.11.2017 को थाना-ब्रह्मपुरी में दर्ज करवाया गया है किन्तु पुलिस द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है अतः प्रार्थी ने आयोग को न्याय के लिए अनुरोध किया है।

इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने एवं रिपोर्ट भेजने हेतु आयोग द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिनांक 07.12.2017 भेजा गया। कोई उत्तर न प्राप्त होने पर आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री नंदकुमार साय ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार तथा पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन के साथ दिनांक 08.01.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे आयोग में सीटिंग निश्चित की तदनुसार संबंधित प्रदाधिकारीगण को नोटिस जारी किया गया।


नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

चर्चा / सुनवाई

मामले में दिनांक 08.01.2018 को श्री रामकुमार, पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ जोन, मेरठ, उत्तर प्रदेश संबंधित क्षेत्राधिकारी के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। मामले में परिवादी श्री राजेन्द्र साह भी सीटिंग में उपस्थित हुए।

मामले में सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान माननीय अध्यक्ष ने परिवादी को उनके केस के बारे में पूछा जिस पर परिवादी (श्री राजेन्द्र साह) ने आयोग को अवगत कराया कि वह बिहार से अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति है तथा वर्तमान में कथित पता निवासी 25/28 आर. के. पुरम दिल्ली रोड़, ब्रह्मपुरी जनपद मेरठ में रहता है। उनको मेरठ में उक्त निवास स्थान के पड़ोस में रहने वाले लोग जातिगत आधार पर प्रताड़ित कर रहे हैं तथा झूठे केस में फंसाने की साजिश भी रच रहे हैं उसने आयोग को बताया कि जातिगत उत्पीड़ना पर उसके द्वारा दी गई सूचना पर थाना-ब्रह्मपुरी में दिनांक 20.11.2017 को एफआईआर संख्या 702/2017 धारा 147, 504 आईपीसी तथा 3(1) (द) एस.सी./एस.टी एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुई हैं। जिसको दबाने के लिए प्रतिवादीगण द्वारा षंडयत्रकारी एफआईआर दिनांक 30.11.2017 को थाना-ब्रह्मपुरी ने दर्ज करवाई गई है और जिस पर पुलिस भी उनके इशारे पर कार्रवाई कर रही है। परिवादी ने आयोग को यह भी बताया कि प्रतिवादीगण से उनके परिवार को जान-माल की हानि का खतरा है तथा उनको झूठे केस में फंसाने का भी षंडयत्र है अतः आयोग द्वारा उनको बचाया जाए।

मामले में माननीय अध्यक्ष ने पुलिस महानिरीक्षक से स्थिति स्पष्ट करने को कहा जिस पर पुलिस महानिरीक्षक ने आयोग को बताया कि श्री राजेन्द्र साह की शिकायतों पर पहले से ही दो मुकदमे दर्ज होकर अनुसंधान उपरांत चार्जशीट प्रतिवादीगण के विरुद्ध न्यायालय में पेश की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 20.11.2017 को दर्ज एफआईआर संख्या 702/2017 धारा 147/504 आईपीसी व 3 (1) (द) एस.सी./एस.टी एक्ट की विवेचना शीघ्र कराई जा रही है तथा विवेचना उपरांत चार्जशीट शीघ्र ही न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

निष्कर्ष:

मामले पर दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत आयोग ने पाया कि परिवादी श्री राजेन्द्र साह के साथ जातिगत आधार पर भेदभावयुक्त उत्पीड़ना प्रतीत है जिस पर थाना- ब्रह्मपुरी जनपद मेरठ में मुकदमे भी दर्ज है। किंतु पुलिस द्वारा अपेक्षित कार्रवाई में देरी की जा रही है जिससे प्रतिवादीगण को मामले को दबाने का अवसर प्राप्त होता है। अतः आयोग द्वारा सलाह दी जाती है कि इस मामले में पुलिस द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए-

1. परिवादी श्री राजेन्द्र साह की पूर्ववर्ती शिकायतों पर दर्ज मुकदमों के अनुक्रम में प्रतिवादीगण, जो उन पर वाद वापिस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं, के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
2. श्री राजेन्द्र साह के शिकायत पर दिनांक 20.11.2017 को दर्ज मुकदमे पर प्रतिवादीगण के खिलाफ शीघ्र सख्त कार्रवाई की जाए तथा चार्जशीट 20.1.2017 तक शीघ्र न्यायालय में पेश की जाए।
3. श्री राजेन्द्र साह के खिलाफ प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 30.11.2017 को दर्ज कराए गए झूठे मुकदमे के संदर्भ में उनको (श्री राजेन्द्र साह) गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। गुण के आधार पर (on merit) पहुंचे बिना पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाही करनी चाहिए न कि प्रतिवादीगण के द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों के आधार पर। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने आश्वासन दिया कि श्री राजेन्द्र साह को झूठे आरोपों के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

